

प्रार्थी : श्रीमती अमरती बाई
किस्म मुकदमा : प्रा.पत्र

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

विपक्षी : श्रीमती धनीबाई वगैरह
प्रकरण संख्या : 47/2021

सन् 2021

क्रमांक

कार्यवाही विवरण


हस्ताक्षर पार्टी
तथा सूचनाएँ
जारी की गई

दिनांक : 29.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से विपक्षी संख्या एक की तामील में नियत है। प्रार्थी अधिवक्ता कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी सम्मन प्रोसेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा रूक रूककर प्रार्थी को तीन बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण का मूल वाद भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 जा. दी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।


(अवुला साईकृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर